सं0 11013/2/97-स्था0 (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक, 19 अगस्त, 1997

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को, विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा समय-समय पर चलाई गई "सहयात्री मुफ्त योजना सेवा के तहत "मुफ्त सहयात्री टिकट" की स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5 मार्च 97 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकारी कर्मियों को मुफ्त सहयात्री टिकट या इसके समान दूसरी सुविधा का लाभ लेने की अनुमति का प्रावधान था बशर्ते कि इस प्रकार की सुविधा केवल राष्ट्रीय वायुयानों (इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया) से यात्रा करके प्राप्त की जाए । स्पष्टीकरण के लिए ऐसे कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को ईंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के "वापसी उड़ान" योजनाओं के अंतर्गत दी गई मुफ्त टिकट को स्वीकार करने की अनुमति दी जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि दिनांक 5.3.97 के कार्यालय ज्ञापन में मुफ्त सहयात्री टिकट अथवा इसके समान किसी दूसरी सुविधा का लाभ स्वीकार करने की अनुमति दी गई है । अतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स की वापसी उड़ान योजना के अन्तर्गत प्राप्त मुफ्त टिकट को स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(एस0 नंदक्योल्यर)
निदेशक (स्था0-II)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रति प्रेषित:

संघ लोक सेवा आयोग/नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।

1. सचिव, लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 14.5.97 के कार्यालय ज्ञापन सं0 15(8)/93(डी0पी0ई0)-जी0एम0 के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ प्रति प्रेषित ।
2. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
3. प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया ।
4. प्रबंध निदेशक, इंडियन एयर लाइन्स ।

(एस0 नंदक्योल्यर)
निदेशक (स्था0-II)